3010-24 वकील प्रार्थी श्री मोहन लाल माहर एवं वकील अप्रार्थी श्री ओ.पी. बतरा द्वारा बहस प्रार्थना पत्र धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. समाहित की जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र में अभिलिखित कथनों को दोहरते हुए कथन किए गये कि एक वाद अनुवान हीरा सिंह बनाम तोती उर्फ तेजी का श्रीमान न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रेषित किया कि वाके चक 23 पीटीपी के मुरब्बा नम्बर 8 के 16 बीघा रकबा कानो, तोती उर्फ तेजो, महेन्द्रो तथा हीरा सिंह को क्लेमेन्ट के आधार पर आवंटित किया गया था जिसकी खातेदारी सनद् 11168 दिनांक 03.12.1976 जारी की गई जिसमें वादी का नाम नही होने से श्रीमान सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा सम्मिलित किया गया था जिसके घोषणा एवं दुरूस्ती का वाद प्रेषित किया गया जो दिनांक 29.09.2014 को डिग्री किया गया जिसकी अपील ब अनुवानी टहल सिंह बनाम हीरा सिंह प्रस्तुत की गई जो दिनांक 16.10.2017 को निर्णित की गई। प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील ब अनुवानी हीरा सिंह बनाम टहल सिंह राजस्व मण्डल अजमेर में 6362/2017 प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 17.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णयों क्रमशः दिनांक 29.09.2014 तथा दिनांक 16.10.2017 को निरस्त फरमाया जाकर उभयपक्षों को विधिवत् सुनकर विधि के अनुरूप निर्णय पारित करें। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय/डिग्री की पालना में प्रश्नगत् कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 16.11.2017 दर्ज किया गया था अब चूंकि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 16.10.2017 निरस्त किया जा चुका है। अतः विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार पूर्व की स्थिति बहाल की जानी न्यायोचित होगी। कब्जा की पुर्नस्थापना के सिद्धान्त (Principal of doctrive of restetution) के अनुसार विचारण न्यायालय के डिग्री एवं निर्णय के निरस्ती अथवा प्रति प्रेषित के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए बाध्य है। अतः माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.10.2017 की पालना में दर्ज नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 06.11.2017 निरस्त फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावें। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त–**[Citation : 2020 DNJ (Rev.) 553]** पेश किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि इस पर हाईकोर्ट का स्थगन है। अप्रार्थी ने रिट टहल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान रिट नम्बर 5456/2004 में दिनांक 08.12.2004 को स्थगन आदेश जारी किया गया है कि मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। इसलिए पूर्व की स्थिति बहाल नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय 17.09.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर तह0 व जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.09.2014 एवम् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.10.2017 को निरस्त किया जा चुका है। राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 17.09.2019 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर तह0 व जिला

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.09.2014 एवम् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.10.2017 से जो इंतकाल दर्ज किये गये हैं वे निरस्त हो चुके हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर तह0 व जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.09.2014 एवम् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.10.2017 से जो इंतकाल दर्ज किये गये हैं वे निरस्त कर दिनांक 28.09.2014 से पूर्व की स्थिति बहाल करे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned with OKEN Scanner